

कार्य पूर्ण पाए जाने पर जारी प्रति

नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय
सेक्टर-19 नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 20 / 481 / फायर सर्विस / एन.ओ.सी. / 2019

जांजगीर, दिनांक 15.3.19

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

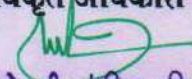
प्रमाणित किया जाता है कि प्राचार्य, श्री कैलाशपत सिंघानिया, हा.से.स्कूल गोपालनगर परिसर का इस विभाग के अधिकारी श्री इनकसिंह पवार के द्वारा श्री आर.पी.मानवटकर की उपस्थिति में आज दिनांक 28.02.2019 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि निवारण एवं बचाव से संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं निचे लिखित शर्तों के अधीन जारी दिनांक से आगामी 03 माह की अवधि तक के लिए अस्थाई अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1- संस्था में फायर फस्ट एंड फायर होजरील सह पम्प 450 IMP at 3.5 kg/cm, DCP (ABC) 5kg 05 नग, Co2 (4.5) kg 02 नग, Clean Agent (HFC 227) 05 kg 02 नग, 10000 लीटर टेरेस्ट टैंक की व्यवस्था कर पुनः इस ईकाई से 03 माह के भीतर निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- 2- प्रमाण-पत्र के जारी दिनांक के बाद भवन में किसी प्रकार का विस्तार या अन्य कार्य किया जाता है तो यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 3- अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका अभिलेख बनाकर रखा जाए।
- 4- बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जाये।
- 5- संस्था अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6- अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से संस्था में स्थापित उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः संस्था की होगी, जिसके लिये नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छ0ग0 की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा।

जारी दिनांक 15.03.2019

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर


जिला सेनाली एवं जिला अग्निशमन अधिकारी
जिला - जांजगीर रायगढ़ (छ.ग.)